

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, गया, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, जमुई, पूर्णियां एवं अररिया।

पटना, दिनांक-२२-९-२०१७

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए कुल ₹ 93,31,000/- (तिरानवे लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए कुल ₹ 93,31,000/- (तिरानवे लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरण नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन:-

क्रमांक	कूट संख्या	विषय शीर्ष	पटना	गया	नालन्दा	मुजफ्फरपुर	जमुई	पूर्णिया	अररिया	कुल
1	01 01	वेतन	0	0	0	0	8,50,000	0	0	8,50,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
4	01 06	विकित्सा भत्ता	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
5	01 07	अन्य भत्ता	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
योग-वेतन एवं भत्ते			0	0	0	0	982000	0	0	9,82,000
6	13 01	कार्यालय व्यय	1,00,000	50,000	1,00,000	50,000	0	0	50,000	3,50,000
7	13 03	दूरभाष	10,000	44,000	70,000	50,000	15,000	0	8,000	1,97,000
8	13 04	विद्युत प्रभार	20,00,000	21,60,000	12,00,000	20,000	3,00,000	0	1,40,000	58,20,000
9	13 06	वर्दी/पोशाक	0	2,000	0	0	30,000	0	0	32,000
10	14 01	किराया महसूल एवं कर	0	0	0	50,000	0	0	20,000	70,000
11	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	5,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	0	2,00,000	15,00,000
12	28 02	सांविदा सेवाएँ	0	50,000	0	0	0	2,00,000	30,000	2,80,000
13	52 01	मशीन एवं उपस्कर	0	0	0	0	0	0	1,00,000	1,00,000
कुल योग-			26,10,000	25,06,000	15,70,000	3,70,000	15,27,000	2,00,000	5,48,000	93,31,000

(तिरानवे लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र।

Handwritten signature

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग